

अध्याय 5

नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए

[धारा 4 (1) (बी) (v) और (iv)]

कृपया सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची और विवरण प्रदान करें,

जिनका उपयोग निम्नलिखित प्रारूप में कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

संस्था से संबंधित नियमों, विधानों, निर्देशों एवं अभिलेखों का विवरण तथा उनका नियंत्रण रखने वाले कार्यक व्यवहार में लाने वाले कर्मचारियों का विवरण:

राज्य शिक्षा केन्द्र

1. म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत समग्र शिक्षा मिशन द्वारा निर्धारित नियम।
2. म० प्र० जन शिक्षा अधिनियम।
3. जन शिक्षा अधिनियम के नियम वर्ष 2002
4. भारत शासन द्वारा जारी सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की गाईडलाइन।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन
6. भारत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश।
7. म० प्र० शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश ।

8. विभिन्न गतिविधियों के संचालन, क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर राज्य शिक्षा केन्द्र जारी निर्देश। राज्य शिक्षा केन्द्र जारी निर्देश WWW.educationportal.mp.gov.in पर आम जनता के लिये उपलब्ध रहते हैं। नियंत्रण रखने वाले कार्यव्यवहार में लाने वाले कर्मचारियों का विवरण

राज्य स्तर पर	-	संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अधीनस्थ स्टाफ।
जिला स्तर पर	-	1. जिला परियोजना समन्वयक 2. सहायक परियोजना समन्वयक (जेण्डर) 3. सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) 4. प्रोग्रामर
विकास खंड स्तर पर	-	1. विकास खंड स्त्रोत समन्वयक 2. विकासखंड अकादमिक समन्वयक 3. विकासखंड जेंडर समन्वयक
जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर	-	1. जन शिक्षक 2. जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
ग्राम/शाला स्तर पर	-	1. पालक शिक्षक संघ 2. शिक्षक